न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री सेवाराम स्वामी आर.ए.एस

अपील संख्या:- 454/2012

नानगराम पुत्र पांचूराम जाति रैगर निवासी सांभरलेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल [illegible] पुत्र चिरंजीलाल जाति रैगर निवासी सांभरलेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/उप पंजीयक सांभरलेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्तागण:-(1) श्री मदनलाल कुड़ी, अधिवक्ता अपीलांट
(2) श्री सीताराम जाट, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

निर्णय:- दिनांक:- 08.01.18

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/8/2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

संक्षिप्त मे तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम तेजा का बास तहसील सांभरलेक जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1489, 1490, 1491 कुल किता 3 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी/अपीलांट के कब्जे काश्त की पैतृक सम्पत्ति है जो हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमे वादी/अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है। वादपत्र मे वंशावली अंकित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हुये अंकित किया गया कि पान्चुराम के पुत्र वादी एवं पुत्री प्रभातीदेवी है, जिसका विवाह ग्रामी करोलान तहसील सांगानेर मे हुआ था, जिसके पति की मृत्यु हो गई है एवं विधवा होने के बाद श्रीमति प्रभातीदेवी के पास रहने लगी, उसने प्रतिवादी मोहनलाल के पुत्र को बचपन मे ही गोद ले लिया, प्रतिवादी की पढाई लिखाई शादी विवाह श्रीमति प्रभातीदेवी ने ही किया था। प्रभातीदेवी भी प्रतिवादी के साथ आजीवन वादी के पास रही। प्रभातीदेवी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण लिया था यद्यपि सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। लगान भी वादी ही देता है। वाद पत्र मे आगे अंकित किया गया कि श्रीमति प्रभातीदेवी प्रतिवादी की गोदवाली माँ ने असामाजिक तत्वो के बहकावे में आकर एक फर्जी वसीयत पान्चू से करवा ली, जिसमे पांचू की समस्त पैतृक आराजीयात अपने नाम किये जाने की वसीयत सब रजिस्ट्रार सांभरलेक के यहां दिनांक 18/3/1999 को पंजीबद्ध करवा ली। मृतक पाँचू पढा-लिखा व्यक्ति था, जो हस्ताक्षर करता था, जबकी वसीयत दिनांक 18/3/1999 मे मृतक पाँचू का फर्जी अंगूठा निशानी लगाई है। विवादित आराजी प्रभातीदेवी व वादी की पैतृक सम्पत्ति है, इसलिये सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने का मृतक पाँचू को कोई विधिक अधिकार नही था। दिनांक 18/3/1999 को मृतक पांचू का 1/3 हिस्सा था, इससे बढकर वसीयत यदि की भी है तो वह शून्य है। समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से अंगूठा निशानी लगाकर के की गई है जो मुकाबले वादी प्रभाव शून्य है। वाद पत्र मे आगे अंकित किया गया कि प्रभातीदेवी व वादी जो भाई बहन है के मध्य अच्छे सम्बन्ध रहे है। वादी को वसीयत दिनांक 18/3/1999 के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नही हो पाई। प्रभातीदेवी का असामयिक निधन हो गया। प्रतिवादी संख्या-1 अपने आप को दत्तक पुत्र बताते हुये विवादित आराजीयात सम्पूर्ण का अपने पक्ष मे नामान्तरण खुलवाने का प्रयास कर रहा है। दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

28/5/2009 को वादी ट्रैक्टर से विवादित आराजी की जुताई करवा रहा था तब प्रतिवादी संख्या-1 आया और धमकी दी कि विवादित जमीन से तुम्हारा कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। मैं जमीन पर जबरन कब्जा करूंगा व जमीन का नामान्तकरण मेरे नाम खुलवा कर अन्य किसी को अच्छे दाम लेकर विक्रय करूंगा, इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र के अन्त मे इस्तदुआ चाही की वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि मृतक पांचू का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण विवादित आराजी का एकमात्र वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे की वे वादी को उसके कब्जे-काश्त से बेदखल नही करे, नामान्तकरण नही खुलवाये न रहन करे न ही बेचान करे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर जवाब वाद पेश हुआ, जिसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीमात कायम की गई एवं दोनो पक्षो के अभिभाषकगणो की बहस सुनकर वादी द्वारा विवादित आराजी पैतृक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किये जाने से मुख्य तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध तय होना धारित करते हुये वादी का वाद अस्वीकार (खारिज) कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान् समायत की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
जिला जयपुर

अभिभाषक अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई अपनी बहस एवं अपील में अंकित तथ्यो को ही अपनी बहस मे दोहराया गया एवं निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपनी बहस मे मुख्य रूप से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई बहस को दोहराते हुये दावा वादी डिक्री किये जाने मे आपत्ति नही होना जाहिर किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में वादी/अपीलान्ट वाद को मुख्य रूप से प्रश्नगत आराजी को पैतृक बताते हुये उसकी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का लेकर आये है। ऐसी स्थिति मे विवादग्रस्त आराजीयात को पैतृक साबित करने का भार भी वादी पर ही है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय एवं इस अपील पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात के वादी/अपीलार्थी की पैतृक आराजीयात होने के सम्बन्ध मे एक भी दस्तावेज मौजूद नही है, जिसके अभाव मे ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी सही रूप से अस्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक प्रजाती देवी के हक मे उप पंजीयक सांभरलेक के यहाँ पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 18/3/99 पर मृतक पांचू के पढा-लिखा होने के बावजूद अंगूठा निशानी होने के संदर्भ मे वादी/अपीलार्थी की आपत्ति का प्रश्न है तो चूंकी उक्त वसीयतनामा दिनांक 18/3/1999 उप पंजीयक सांभरलेक के समक्ष सम्बन्धित पक्षो के उपस्थित होने पर ही पंजीबद्ध हुआ है, जिस पर संदेह उत्पन्न किये जाने का कोई कारण ही शेष नही रहता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात वादी/अपीलार्थी की पैतृक आराजीयात होने के संदर्भ में पत्रावली पर कोई दस्तावेजात उपलब्ध नही होने के आधार पर वादी/अपीलार्थी का वाद अस्वीकार किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30/8/2012 यथावत रखे जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

तकमील डाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर